न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी;– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 59/20 दायरा दिनांक :–20.10.2020 निर्णय दिनांक :– 24.02.2021

1. प्रभाती
2. मामचन्द
3. चंदगी
4. ओमप्रकाश पुत्रान श्री मन्ना जातियान अहीर निवासीयान मऊ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– श्री रणवीर सिंह यादव– वकील वादीगण

–:निर्णयः–

दिनांक :– 24.02..2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0न0 81/0.21, 82/0.18, 83/0.44, 44/0.37, 86/0.39 है0 का 1/4 भाग, 73/0.15, 79/0.47 है0 सालिम हिस्सा, 70/0.05 है0 का एक बैल, 107/0.18, 108/0.70 है0 का 1/8 भाग, 61/0.20, 63/0.21, 64/0.11, 65/0.13, 66/0.09, 67/0.21, 68/0.08, 69/0.13, 1071/0.56 रकबा 0.20 है0 का 37/108 भाग वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर जिल[illegible]कर विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त हाल खसरा नम्बरान साबिक ख0न0 [illegible] 130, 131, 135, 136, 121, 120, 122, 125, 126 से भू–प्रबंध विभाग [illegible]ाये। उक्त आराजी मुतनाजा वादीगण की खानदानी कब्जे [illegible] की आराजी है जिस पर वादीगण के पूर्वज मन्ना पुत्र गोपाल क[illegible] होकर काश्त करते [illegible] एवम उनके नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज है। दौराने [illegible] निरन्तर व बेरोकटो[illegible] करते आ रहे है। उनकी फौतगी के बाद उक्त आराजी विरासत में हम वादीगण को प्राप्त हुई जिसका विरासत इन्तकाल संख्या 307 हम वादीगण के नाम दर्ज व मंजूर हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

आराजी पर वादीगण के पूर्वज पूर्व खातेदार के समय काबिज होकर काश्त करते रहे है एवम मूल पूर्व के खातेदारान के माईग्रेशन के समय से वादीगण के पूर्वज पूर्ण अधिकार के रूप में काबिज बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पूर्व में वादीगण के पूर्वज गैर मौरूसी काश्तकार रहे उसके बाद गैर खातेदार काश्त के रूप में साबिक राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होते आ रहे है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज राज0 काश्त0 अधिनियम जागीर उन्मूलन अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व से काबिज है एवम पीढी दर पीढी काबिज चले आ रहे है। आज भी मौके पर काबिज है। इस प्रकार वादीगण के हक में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आराजी मुतनाजा में खातेदारी अधिकार श्रृजित हो चुके है। आराजी मुतनाजा कस्टोडियन है। अब संशोधन के बाद कस्टोडियन आराजी से संबंधित खातेदारी की घोषणा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। मौके पर वादीगण भौतिक कब्जे में है एवम दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आराजी मुतनाजा निर्विवादित होकर समस्त प्रकार से पाक साफ है। वादीगण आराजी में प्राप्त होने वाले अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। पूर्वजों की फौतगी के बाद जरिये विरासत इन्तकाल संख्या 307 के वादीगण के नाम आराजी मुतनाजा का इन्द्राज गैर खातेदारी का हो रहा है और वादीगण मौके पर हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है एवम अन्य सहिस्सेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दखिल है, अन्य हिस्सेदारान के व उनके हिस्से के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहते है एवम ना ही वादीगण के वाद के निस्तारण से अन्य सहखातेदारान के हक हकूक व अधिकार प्रभावित होते है। इसलिए सहखातेदारान को वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम गैरखातेदारी का अंकन रहने से वादीगण आराजी का विनिमय, विक्रय, हिबा करने व किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के अधिकारों से वंचित रह रहे है व आराजी का सुविधाजनक उपभोग नहीं कर पा रहे है। इसलिए आराजी मुतनाजा हाल ख0न0 81/0.21, 82/0.18, 83/0.44, 44/0.37, 86/0.39 है0 का 1/4 भाग, 73/0.15, 79/0.47 है0 सालिम हिस्सा, 70/0.05 है0 का एक बैल, 107/0.18, 108/0.70 है0 का 1/8 भाग, 61/0.20, 63/0.21, 64/0.11, 65/0.13, 66/0.09, 67/0.21, 68/0.08, 69/0.13, 1071/0.56 रकबा 0.20 है0 का 37/108 भाग वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर जिला अलवर का वादीगण संख्या 1 लगायत 4 को संभाग में खातेदार नियमानुसार घोषित किया जावे एवम राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण के हिस्से तक गैर खातेदारी के अंकन को कलमजन किया जाकर खातेदारी का अंकन किया जावे का निवेदन करते हुये वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिबादी की बाद विधिवत तलबी उपरांत जवाब पैरोकार सरकार पेश हुआ। मुताबिक जवाब [illegible] पैरोकार सरकार ने वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये जवाब पेश किया [illegible] पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन [illegible] साक्ष्य [illegible] नकल जमाबंदी संवत 2010–13 किता 2 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी [illegible] प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 किता 7 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी [illegible] 2024 किता 4 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2063–66 किता 3 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2055 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2059–62 किता 2 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2034 किता 4 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी संवत 2038 किता 4 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी संवत 2051 किता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested

४५६

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी संवत 2055 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी संवत 2047 किता 3 प्रदर्श–12, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 किता 2 प्रदर्श–13, नकल इन्तकाल संख्या 307 प्रदर्श–14, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029 किता 5 प्रदर्श–15, नकल खसरा टीप संवत 2001 किता 4 प्रदर्श–16 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रभाती पी डब्ल्यू–1, रणजीत पी डब्ल्यू–2, हजारीलाल पी डब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये वादी द्वारा अपने वादपत्र को जरिये दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रदर्श–1 लगायत 16 एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र पी डब्ल्यू–1 लगायत 3 के माध्यम से पूर्ण रूपेण साबित कर दिये जाने की स्थिति में एवम आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज राज0 काश्त0 अधिनियम जागीर उन्मूलन अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व से काबिज होने एवम पीढी दर पीढी काबिज चले आ रहे होने व आज भी मौके पर काबिज होने की स्थिति में वादीगण के हक में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आराजी मुतनाजा में खातेदारी अधिकार श्रृजित हो चुके है। आराजी मुतनाजा कस्टोडियन है। अब संशोधन के बाद कस्टोडियन आराजी से संबंधित खातेदारी की घोषणा आप श्रीमान राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। मौके पर वादीगण भौतिक कब्जे में है एवम दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आराजी मुतनाजा निर्विवादित होकर समस्त प्रकार से पाक साफ है। वादीगण आराजी में प्राप्त होने वाले अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है वादीगण के वाद को बहक वादीगण डिक्री किये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत एवम उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित किये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर हाल ख0न0 81/0.21, 82/0.18, 83/0.44, 44/0.37, 86/0.39 है0 का 1/4 भाग, 73/0.15, 79/0.47 है0 सालिम हिस्सा, 70/0.05 है0 का एक बैल, 107/0.18, 108/0.70 है0 का 1/8 भाग, 61/0.20, 63/0.21, 64/0.11, 65/0.13, 66/0.09, 67/0.21, 68/0.08, 69/0.13, 1071/0.56 रकबा 0.20 है0 का 3[illegible] तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वादीगण के वाद को [illegible] जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हिस्से तक हो [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसा[illegible] आराजीया[illegible] के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है [illegible] कस्टोडियन आराजी रही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मुण्डावर को [illegible] किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात के बाबत कस्टोडियन आराजी की गणना कराई जाकर नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested

१५६-

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

वादीगण से राशि प्राप्त कर जमा राजकोष करने उपरांत ही उक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर) राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 59/20 दायरा दिनांक :–20.10.2020 निर्णय दिनांक :– 24.02.2021

1. प्रभाती
2. मामचन्द
3. चंदगी
4. ओमप्रकाश पुत्रान श्री मन्ना जातियान अहीर निवासीयान मऊ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 24.02.2021** को **श्री रामसिह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः–**

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित किये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर हाल ख0न0 81/0.21, 82/0.18, 83/0.44, 44/0.37, 86/0.39 है0 का 1/4 भाग, 73/0.15, 79/0.47 है0 सालिम हिस्सा, 70/0.05 है0 का एक बैल, 107/0.18, 108/0.70 है0 का 1/8 भाग, 61/0.20 63/0.21, 64/0.11, 65/0.13, 66/0.09, 67/0.21, 68/0.08, 69/0.13, 1071/0.56 रकबा 0.20 है0 का 37/108 भाग वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हिस्से तक हो रहे गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसार विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात कस्टोडियन आराजी रही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात के बाबत कस्टोडियन आराजी की गणना कराई जाकर नियम[illegible] जमा राजकोष करने उपरांत ही उक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड [illegible]रामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.20[illegible] मेरे द्वारा लि[illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested

(रामसि[illegible]जावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0.

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0